

भाग-IV

(नोडल अधिकारी या प्रधान मुख्य वन संरक्षक या वन विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव सं० - PP/UP/Min/29061/2017

14	टिप्पणी के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और विशेष सिफारिशें	चूंकि, Minzapur संस्तुति के आधार पर स्वीकृतायें संस्तुति की जाती हैं ।
----	---	--

(राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक, द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों की संस्पष्ट रूप से समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर टिप्पणियां दी जानी चाहिए)

तारीख -
स्थान -

20/11/17

Pankaj Mishra
Chief Conservator of Forests/Joint Officer
Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow

हस्ताक्षर
नाम
सरकारी मोहर

~~सहायक वन संरक्षक/प्रभारी
भारत सरकार
रेजिस्ट्रार वन प्रभाग-सोनभद्र~~